रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 1983/फाल्गुन 13, 1904

No. 106] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 1983/PHALGUNA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1983

का० आ० 158(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/83.— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 134(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/79 तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा यथा उपांतरित आदेश सं० का० आ० 529(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/74, तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, बंद और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरामपुर, पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तारीख 6 सितम्बर 1975 से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपयुक्त पांच वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना चाहिये और उसमे 5 मार्च, 1983 तक की जिस के अन्तर्गत यह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिये इसे जारी रखने के लिये समय समय पर निर्देश जारी किये थे [देखिये भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग का०आ० 512(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/79 तारीख 4 सितम्बर, 1979, का०आ० 749(अ)/18कक/आई० डी०आर० ए०/80, तारीख 5 सितम्बर, 1980, और सं० का०आ० 684(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/1981 तारीख 4 सितम्बर, 1981, का०आ० 125(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/82 तारीख 5 मार्च, 1982 तथा का०आ० 648(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/82 तारीख 4 सितम्बर, 1982];

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 31 मई, 1983 तक की और अवधि के लिये जारी रखा जाये,

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश, 31 मई, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[फा० सं० 2(11)/80-सी यू एस]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th March, 1983

S.O. 158(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)/18AA/IDRA/74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)/18AA/IDRA/79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Govern-

ment had authorised the Secretary, the Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974 ·

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 5th March, 1983 [vide orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 512(E)/18AA/IDRA/79, dated the 4th September, 1979, S.O. 749(E)/18AA/IDRA/80, dated the 5th September, 1980, S.O. 684(E)/18AA/IDRA/81, dated the 4th September, 1981, S.O. No. 125(E)/18AA/IDRA/82, dated the 5th March, 1982 and S.O. 648(E)/18AA/IDRA/82, dated the 4th September, 1982];

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue from furthed period upto 31st May, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st May, 1983.

[F. No. 2(14)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110 064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983